7

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मध्यप्रदेश, परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विंध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक 8199/22/वि–7/ रा.ग्रा.रो.गा.यो /2007 भोपाल,दिनांक 30 / 4 ./2007

प्रति,

1 कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक,
म.प्र. रोजगार गारंटी योजना,

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी

म.प्र. रोजगार गारंटी योजना,
जिला पंचायत / जनपद पंचायत— बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिण्डोरी, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, श्योपुर, सतना, उमरिया, अशोक नगर, गुना, दतिया, अनुपपुर, छिन्वाड़ा, बुरहानपुर, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, रांजगढ़ (मध्यप्रदेश)।

विषय :— प्रशासनिक व्यय के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता से व्यय करने संबंधी आवश्यक निर्देश।

संदर्भ :— भारत शासन का पत्र क्रमांक 28012/31056 —NREGS नई दिल्ली दिनांक 30 मार्च, 2007

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मध्यप्रदेश के क्रियान्वयन के लिए SEC 22 (1) (C) के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। यह 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की राशि केन्द्रांश और राज्यांश की कुल राशि के कुल व्यय का 4 प्रतिशत ही मान्य है।

इस प्रशासनिक व्यय को राज्य के मानवीय स्रोतों (Human Resources) और विकास क्षमताओं को विशेष क्षेत्रों जैसा IEC, प्रशिक्षण, योजना MIS पर्यवेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण आदि उद्देश्यों पर रखा गया है।

इसके पूर्ण और विस्तृत वर्णन के लिये केन्द्रशासन के आदेश की छाया प्रति सलग्न है।

उक्तादेश के तहत ही 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय सुसंचालित होना और प्रशासनिक व्यय आदेश में दिए गये उद्देश्यों पर ही निर्देशों और शर्तों के अनुसार व्यय की सीमा में ही विकलनीय (प्रभारित) होगा।

जिला पंचायत स्तर पर यह प्रशासनिक व्यय 1 या 2 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाए।

संलग्न :— 1 केन्द्र शासन के आदेश की छाया प्रति
2 4 प्रतिशत व्यय के मदों का वर्गीकृत पत्रक

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल

FAX

By Regd. Post

No. 28012/3/05-06-NREGA
Government of India
Ministry of Rural Development
NREGA Division
***

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 30th March, 2007

To

The Principal Secretary / Secretary (RD)
(In-charge – NREGA)
Government of

Sub.: Enhancement of Management Cost for the implementation of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

Madam/Sir

The Ministry of Rural Development has been providing financial support to administrative expenses incurred under NREGA. This Central Assistance is made available to the States under NREGA Section 22 (1(c)., that authorizes the Central Government to determine a percentage of the total cost of the Scheme as administrative expenses.

2. Accordingly, the permissible limit for administrative expenses communicated by the Ministry vide its letter dated 10.1.2006 was 2%. In view of the feedback from the States, and an assessment of the volume of work that needs to be handled at each level, the Central Government has now decided to enhance the current level of administrative expenses permissible under NREGA from 2% to 4% of the total cost of the expenditure which includes both Central and State share. The enhancement of the limit of administrative expenses has been done with a view to enable States to augment human resources and develop capacity for critical activities like IEC, training, planning, MIS supervision, social audit so that the processes mandated in the Act and the outcomes envisaged are attained.

:5

...dministrative expenses permissible under the 4% ...nistrative limit:-

Activities permissible under administrative expenses are as ...ows:

Information Education Communication (IEC): This includes awareness generation activities such as preparation and dissemination of IEC material, community mobilization, use of media and local cultural forms, house hold contact campaigns.

) Training: Training of officials, PRIs and Village &Monitoring Committee members. This will include training needs assessment, development of training modules and materials, organization of training programmes, concurrent impact assessment of trainings. Exposure visits, use of distance education methods will also be included.

iii) MIS: This includes collection of data and its electronic processing, report generation and transmission. Block level computerization must be ensured.

iv) Quality supervision: This includes monitoring and verification (specially muster roll verification) evaluation, Social Audit. Quality Monitors at the State, District and Block levels may be deployed.

v) Setting up grievance redressal systems, like Help lines

vi) Engaging professional services for any of the activities permissible under items (i) to (v) above is permissible.

vii) Operational Expenses: Office expenses related to the implementation of NREGS

viii) Stationery related to computational processes/MIS.

ix) Additional Staffing dedicated to NREGS in key functional areas of the Scheme and at the Gram Panchayat/Block/District levels (as annexed)

4. Items of Expenditure not permissible under the 4% administrative limit

i) Salaries/ remunerations/honoraria of functionaries already engaged by the Government/ PRIs / any other implementing agency.

ii) Personnel, other than indicated in 3(ix) above.

iii) Purchase of new vehicles and repair of old vehicles.

vil works

On administrative expenses, a suggested staffing pattern was indicated in the earlier instructions dated 10.01.2006. The existing District level organization (like DRDA/ZP Secretariat) servicing the NREGS has to be provided additionality of staff funded from the NREGS under permissible administrative expenses. However, this additional staff can be paid from the NREGS funds only if they are dedicated and are working full time for the NREGS with no other responsibility. This personnel could be regular Government employees deployed for the NREGS or could be employees on contract or staff deployed on outsourcing basis. The scale of staff which is to be deployed has to be related to the volume of work in a Gram Panchayat, Block or a District.

6. Since 50% of works have to be implemented at the Gram Panchayat level, and the Gram Panchayat is also the pivotal unit for basic NREGA processes like registration, issue of job cards and maintenance of records, it is suggested that the first charge on administrative expenses shall be the Gram Rozgar Sevak. One Gram Rozgar Sevak must be deployed in each Gram Panchayat. Training of Gram Rozgar Sevak should also be fully ensured. The next charge on administrative expenses will be strengthening the Block management through additional dedicated staff for engineering, accounts and MIS.

7. Obviously, the expenses for personnel of all the above categories deployed at District, Block and Gram Panchayat levels have to be supported within the overall ceiling for administrative expenses of 4% which also covers expenses other than personnel as indicated in para 3 (items i to viii) above. Therefore, careful planning has to be done by State Governments in working out the required personnel and deploying them at different levels.

...manent posts are to be created under this programme and Government ...ndia will not take any liability for any permanent posts under it

8. Normally, States should endeavor to restrict expenses on personnel to not more than 2.5% so that sufficient funds are available for undertaking processes as indicated in Para 3.i to 3.viii above, to improve the quality of implementation. States should also closely monitor their administrative expenses in terms of personnel and other capacity building initiatives to ensure that these arrangements support creation of person days and delivery of legal processes and outcomes envisaged under NREGA.

9. Surplus dysfunctional staff deployed in other programmes may not be diverted to NREGS.

10. Salaries of existing staff will not be booked to NREGS

11 The 4% cap on administrative expenses will operate at the district level.

12. 4% administrative expense is a function of the total expenditure under NREGA resulting into creation of person days in a financial year. Therefore, expenses that are incurred in terms of personnel salaries and other processes indicated here must square up to not more than 4% of total expenditure in a financial year. In doing so, care should be taken to ensure that districts having a large size of programme do not spent more than the absolute minimum as the administrative expenses in these districts can be managed with a much smaller percentage and can even be managed at 1 or 2%.

Work Site Facilities: Work Site Facilities are to be provided as per provisions of the Act. The expenditure on workers engaged to look after crèche on site shall be separately charged to the unskilled wage cost. This will be recorded separately and will not be included as part of the work – measurement.

Location of crèche should be planned in such a way that it is optimally utilized and normally one crèche should be opened for one worksite or group of worksites in proximity to each other. Such planning should be done for each Gram Panchayat in advance and should be reviewed from time to time on the basis of additional works opened/started and works which have been closed. Similar arrangements will apply mutandis mutandis for making arrangements for supply of drinking water. This planning should be done by Gram Rozgar Sevak at the panchayat level. While doing so, the works being implemented by all institutions whether PRIs or Line Departments should be taken into account in toto.

14. **One time expenses:** One time expenses on following items will be allowed. This will be separate from the 4% permissible limit.

a) Preparation of Perspective Plan
b) Printing of job cards, photography
c) Augmentation of computational facilities at the Block and district level.
d) Almirahs for record-keeping and functional furniture at GP, Block and District-levels

15. The enhanced permissible limit for administrative expenses will come into effect from April 1, 2007.

(Amita Sharma)
Joint Secretary

Key Functional Areas for deployment of additional full time dedicated personnel for NREGS

Level	Key Functional Areas	Personnel to be deployed
GP	Registration, job card issue, employment demand and provision, work implementation, payment, social audit, records	1 Gram Rozgar Sewak for each GP
Block	Overall Programme management	1 Programme Officer for each Block
	Works	Technical assistants pooled to service GPs.
	IT , MIS	Computer Assistants
	Finance	Accountant.
Distt	Works and durable assets.	Works Manager with Technical assistants
	IT, MIS	IT Manager with Computer Assistants
	Finance	Accounts Manager with Accounts assistants
	Training	Training Coordinator
	Social Audit, Grievance redresssal	Coordinator

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश, परिषद् भोपाल

2007–08 के लिए 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की जानकारी हेतु प्रपत्र

(एम0पी0आर0 के अनुसार जानकारी देवें)

माह - मई 2007

(रु. लाख में)

क्र0	2 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय–वर्ष 2006 एवं 2007 व्यय के शीर्ष (मद)	2006–07 का वास्तविक व्यय (शीर्षवार)	योग	4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय–2007–08 व्यय की मदें / शीर्ष	प्राप्तियां				केन्द्राश / राज्यांश की कुल राशि के विरूद्ध वास्तविक व्यय की कुल 4 प्रतिशत राशि	माहवार प्रशासनिक व्यय की जानकारी (शीर्षवार व्यय) माह 2007	कुल योग	टिप्पणी
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की राशि कुल राशि				
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
1–	स्टेशनरी / मुद्रण कार्य			A. सूचना शिक्षा संचार • आई.ई.सी. सामग्री पर व्यय								
2–	विज्ञापन / प्रचार–प्रसार			• कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन पर व्यय								
3–	वाहन किराया पी0ओ0एल0			• मिडिया एवं सांस्कृतिक के उपयोग पर व्यय								
4–	वेतनभत्ता / मानदेय / स्थापना व्यय / यात्रा भत्ता इत्यादि			• गृह संपर्क केम्पेन पर व्यय B. प्रशिक्षण								
5–	फोटो चस्पा कार्य			• अधिकारी / कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय								
6–	उपकरण / उपकरण का क्रय (MIS)			• ई0आर0आई0 पर व्यय • विजिट एवं मानेटरिंग पर व्यय								
7–	फोटो कापी / कम्प्यूटराजेशन			• ट्रेनिंग मॉड्यूल एवं सामग्री पर व्यय								
8–	प्रशिक्षण			• एक्सपोझर विजिट पर व्यय								
9–	अन्य आकस्मिक व्यय			• डिस्टेंस एज्यूकेशन पर व्यय C. एम.आई.एस. • कम्प्यूटराईजेशन पर व्यय (ब्लाक स्तर) • डाटा कलेक्शन तथा ईलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन पर व्यय								

2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D. क्वालिटी सुपर विजन • मास्टर रोल वेरीफिकेशन / मानिटरिंग एवं ईवेलुएशन पर व्यय • सामाजिक अंकेक्षण पर व्यय • क्वालिटी मॉनिटर्स पर व्यय (राज्य जिला जनपद स्तर तक) E. ग्रीवान्स रीडेरल सिस्टम की स्थापना • हेल्प लाईन आदि पर व्यय F. प्रोफेश्नल सेवाएं • एम0आई0एस0 प्रशिक्षण आई.ई.सी. क्वालिटी सूपर विजन एवं ग्रीवान्स रीडेसल सिस्टम जैसे–कार्यो पर व्यय G. एन0आर0ई0जी0ए0 अंतर्गत कार्यालयीन व्यय H. स्टेशनरी पर व्यय • कम्प्यूटराईजेश / एम.आई. एस. हेतु – I. अतिरिक्त स्टाफ पर व्यय (राज्य / जिला / जनपद पंचायत स्तर पर) • जिला स्तर पर – वर्क मैनेजर + टेकनिकल असिस्टेट । आईटी मैनेजर + कम्प्यूटर असिस्टेंट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर + कोऑर्डिनेटर					

2	3	4	5	6	7	8	9	10
			• ब्लाक स्तर पर – प्रोग्राम आफिसर टेक्निकल असिस्टेन्ट कम्प्यूटर असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट एकाउन्टेन्ट • ग्राम पंचायत स्तर पर – ग्राम रोजगार सेवक • 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से कदापि न होवें। J. वेतन पर व्यय/मानदेय • स्टाफ/पी0आर0ईस/अन्य ईम्प्लिमेन्टिंग एजेन्सी/एम. आई. एस. स्टाफ. K. नया वाहन क्रय और पुराने वाहन मरम्मत पर व्यय L. सिविल वर्क पर व्यय टीप :- • जिला स्तर पर 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय ऑपरेट होंगे • एन.आर.ई.जी.ए. के कुल व्यय का 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय मान्य होगा, जिससे वित्तीय वर्ष के कुल मानव दिवस बनते हैं जिला स्तर पर कम से कम प्रतिशत व्यय होवें । यह प्रशासनिक व्यय एक दो प्रतिशत तक बनाए रखना होगा (केन्द्र शासन के आदेश की छाया प्रति संलग्न)					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				N. One time expenditure - (4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से यह व्यय पृथक व्यय होगा) • पॉसपेक्टिव प्लान को तैयार करने पर व्यय • प्रिन्टिंग आफ जॉब कार्ड पर व्यय • कम्प्यूटेशनल सुविधाओं को जनपद एवं जिला स्तर पर बढ़ाने पर व्यय • जिला /जनपद /ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों के लिए अलमारियाँ एवं फर्नीचर के क्रय पर व्यय					

टीप :– 1– उपरोक्त विवरण पत्रक में मात्र जिला स्तर पर उपलब्ध आवंटन एवं व्यय की गई राशि की जानकारी दर्शायी गयी है।

2– कालम नं. 8 में केवल चालू माह की जानकारी दर्शाई गई है तथा कालम नं. 9 में माह अप्रैल 07 से मासांत तक की अद्यतन जानकारी दर्शायी गई है ।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक -द्वितीय तल) 59—अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

क्र. 4692 / NREGS-MP / मीडिया / 2008 भोपाल, दिनांक 24 / 7 / 2008

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला — .... (समस्त),
   मध्यप्रदेश

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला पंचायत — .... (समस्त),
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. अंतर्गत प्रचार प्रसार के कार्य संचालन बाबत।

संदर्भः मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 मई 2007।

—————

संदर्भित राजपत्र के भाग — 1 की कंडिका —1 का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत जनसंपर्क संचालनालय को राज्य के समस्त शासकीय विभागों के लिए एकमात्र विज्ञापन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य शासन की ओर से प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने के लिए भी संचालनालय ही अधिकृत है। अतः निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — म.प्र. से संबंधित सभी विज्ञापन, निविदाऐं एवं प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य का प्रकाशन जनसंपर्क विभाग से ही कराया जावें। किसी भी स्तर से स्थानीय एवं निजी समाचार पत्रों को सीधे विज्ञापन आदि न दिया जावें।

संलग्नः— मध्यप्रदेश राजपत्र की छायाप्रति (पेज क्र.— 1428)

23/7/08

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

पृ.क्र. 4693 / NREGS-MP / मीडिया / 2008 भोपाल, दिनांक 24 / 7 / 2008

प्रतिलिपि :—

1. संभागायुक्त समस्त संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी, समस्त 313 जनपद पंचायत (म. प्र.) ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/7/08

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

राकेश साहनी
मुख्य सचिव
Chief Secretary

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004
Government of Madhya Pradesh
Vallabh Bhavan, Bhopal- 462004

पत्र क्र. 49 /मुस/जस/2008
भोपाल, दिनांक 12 मई, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मध्यप्रदेश

विषयः- राज्य शासन के विभिन्न विभागों/निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्य मध्यप्रदेश माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

मध्यप्रदेश माध्यम, जनसंपर्क विभाग के अधीन कार्यरत् स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका गठन राज्य शासन के विभागों, एवं शासन अधीन आने वाली संस्थाओं की योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य करने के लिये किया गया है।

मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र क्र. 368 दिनांक 7 सितम्बर 99 द्वारा सभी शासनाधीन आने वाली संस्थाओं को आदेश प्रदान किये गये थे कि सभी वर्गीकृत एवं प्रदर्शन विज्ञापनों का प्रकाशन मध्यप्रदेश माध्यम से ही करायें। यह देखने में आया है कि कुछ संस्थाएं अभी भी विज्ञापनों का प्रकाशन निजि एजेंसियों के माध्यम से करा रहीं हैं जो कि उचित नहीं है और शासन के आदेशों की अवहेलना है। कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

शासन के विभिन्न विभागों/निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित समस्त पब्लिसिटी के कार्य जिनमें होर्डिंग्स, मेला एवं प्रदर्शनी, फ्लैक्स, बैनर्स, वृत्तचित्र, टी.वी. रिपोर्ट, न्यूज कैप्सूल, वीडियो प्रजेंटेशन, वीडियो एवं रेडियो जिंगल, विज्ञापन कैम्पेन, इवेन्ट मैनेजमेंट आदि प्रचार-प्रसार का कार्य करने के लिये मध्यप्रदेश माध्यम को अधिकृत किया जाता है। भविष्य में प्रचार-प्रसार से संबंधित उपरोक्त समस्त कार्य मध्यप्रदेश माध्यम से कराये जायें।

भवदीय

(राकेश साहनी)